कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची– 834002 (झारखण्ड)

E-mail- :- cftc.ranchi@gmail.com & cf-ranchi@gov.in Phone & Fax - 0651 - 2481814 (O)

पत्रांक:– दिनांक:–

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
रांची।

विषय:– C.C.L **के नया प्रस्ताव** K.D.H **परियोजना हेतु 126.72 हे0 वन भूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वन भूमि तथा 42.37 हे0 जंगल–झाड़ वन भूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग:–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक **F.No. 8-62/2018 FC-DFA-I** दिनांक 22.08.2019:–
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक **F.No. 8-62/2018 FC-DFA-II** दिनांक 22.08.2019:–
3. इस कार्यालय का पत्रांक 659 दिनांक 29.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के प्रसंग में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रांची वन प्रमण्डल, रांची ने उनके पत्रांक 2047 दिनांक 04.08.2021(संलग्न) द्वारा विषयक प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र 1 एवं 2 द्वारा की गयी पृच्छा का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है, जो निम्नवत् है:–

1. **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 8-62/2018 FC-DFA-I दिनांक 22.08.2019:–**

Sl. No.	Query	Status
I.	State Govt. shall attach necessary certificate that the area is free from encroachment & encumbrance.	प्रयोक्ता अभिकरण से सक्षम पदाधिकारी से निर्गत free from encroachment & encumbrance certificate प्राप्त है। (अनु0–C) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित CA Land का DGPS की प्रति अनुलग्नक –A1 एवं CA Land का KML की प्रति अनुलग्नक A2 के रूप में संलग्न है।
II.	State Govt. shall submit necessary certificate to confirm whether the site selected for non forest use and also	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण से सक्षम पदाधिकारी से निर्गत Religious/Archological point of view or

	compensatory afforestation is important from Religious/Archological point of view or not.	not certificate प्राप्त है। (अनु0–B) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Archological Survey of India की प्रति संलग्न की गई है। अनुलग्नक –B प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंचल अधिकारी, खेलारी ब्लॉक द्वारा निर्गत Site selected for non forest use and also compensatory afforestation is important from religious point of view से संबंधित पत्र संलग्न किया है। अनुलग्नक –C
III.	Status of safety zone may be clarified by State Govt.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गया है। अनुलग्नक–D
IV.	Cost Benefit Ratio shall be calculated as per MoEF & CC guideline dated 01.08.2017	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गया है। अनुलग्नक–E
V.	State Govt. shall provide details about the gaps/shortfall observed in the process of reclamation of the mined area by CCL in other mines within the State.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गया है। अनुलग्नक–F
VI	State Govt. shall furnish status of areas for which as reported there are approvals of forest area obtained in 41996 & 2009.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1996 से 2009 तक अपयोजित वनभूमि की विवरणी दी गई है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 199 दिनांक 04.01.2021 के कंडिका संख्या–6 में वर्णित है।
VII.	State Govt. may further clarify if the user agency half paid NPV for entire forest area within the project/lease area as per different guidelines of MoEF & CC or not.	Paid NPV की विवरणी समर्पित किया गया है। अनुलग्नक–G
VIII.	State Govt. shall prepare a comprehensive proposal for diversion of entire forest land under the provisions of FCA 1980 within the project/lease area.	Comprehensive proposal for diversion of entire forest land की प्रति संलग्न की गई है। अनुलग्नक–H

एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक **F.No. 8-62/2018 FC-DFA-II** का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित कियागया है, जिसकी अद्यतन अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :–

Sl. No.	Points raised	Reply
I.	Is there any provision of lease area in CBA 1957 ?	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CBA Act. Of 1957 की विवरणी दी गई है। साथ ही Notification की प्रति संलग्न है। **अनुलग्नक–01**
II.	Can project area for which mining plan is approved by competent authority shall be taken as single lease area to analyse the fate accomplisituation as referred by Hon'ble Supreme Court in their Lafarge Umium V/s Union of India case in 2011.	इसके अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Acquistion/diversions की प्रति संलग्न की गई है। **अनुलग्नक–02** साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Approved Mining Plan की प्रति संलग्न। **अनुलग्नक–03** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा environmental clearances की प्रति संलग्न की गई है। **अनुलग्नक–04** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा approval of mine plan and EC were issued before judgment of Hon'ble Supreme Court in Lafarge Umium V/s Union of India Case in 2011. (Copy of case attached as **Annexure-V**.
III.	Can forest land be acquired under CBA 1957 ?	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 200 दिनांक 04.01.2021 के कंडिका संख्या–iii में वर्णित है।
IV.	What procedure shall be adopted legally to restore back and reclaimed forest land after completion of mining (which was acquired through CBA 1957) to forest department for uniform management.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गया है। **अनुलग्नक–04**

अतः अनुपालन प्रतिवेदन **चार** प्रतियों में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न समर्पित की जा रही है।

अनु0: यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह0 / –

वन संरक्षक

प्रादेशिक अचल, रांची।

ज्ञापांकः– 914 दिनांकः– 19/8/2021

प्रतिलिपि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची को उनके पत्रांक 2047 दिनांक 04.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 19.8.2021

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, रांची।

F:\WORK GROUP\SUNIL KUMAR SINHA\C.C.L. K.D.H. PARIYOJNA15-06-2021.DOC